REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062021-227956 CG-DL-E-28062021-227956

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 2021/आषाढ़ 7, 1943 No. 351] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 2021/ASHADHA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

सा.का.नि. 439(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों में, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों संबंधित आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा <u>comments-</u> morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

उक्त प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (...... संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसमें मूल नियम के रूप में उल्लिखित है) के नियम 115 में, -
 - (i) उप-नियम (18) के खंड (i) में, -
 - 'तालिका 2' के पश्चात् दी गई 'टिप्पणियों' में क्रमांक (21) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(22) द्वि-ईंधन वाहनों के लिए, रेफरेंस गैसोलीन ईंधन विनिर्माता द्वारा अनुमोदन के दौरान घोषित ई-10 या ई 12 या ई 15 के अनुसार होगा।"
 - (ii) उप-नियम (19) के खंड (i) में, -

(1) 'तालिका 2' के पश्चात् दी गई 'टिप्पणियों' में क्रमांक (15) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(16) द्वि-ईंधन वाहनों के लिए, रेफरेंस गैसोलीन ईंधन विनिर्माता द्वारा अनुमोदन के दौरान घोषित ई-5 या ई 12 या ई 15 के अनुसार होगा ।"

(iii) उप नियम (20) में, -

- (1) 'तालिका 2' के पश्चात् दी गई 'टिप्पणियों' में क्रम संख्या (14) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(15) सीएनजी/बायो-सीएनजी/एचसीएनजी वाहन एआईएस 024, एआईएस-028 संशोधन 1 के अनुसार लागू सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे;
 - (16) ई12 या ई15 या ई20 या ई85 या ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता को वाहन निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर वाहन पर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा।";
- (2) 'तालिका 2' के पश्चात् दी गई 'टिप्पणियों' में क्रम संख्या (16) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(17) द्वि-ईंधन वाहनों के लिए, रेफरेंस गैसोलीन ईंधन विनिर्माता द्वारा अनुमोदन के दौरान घोषित ई-10 या ई 12 या ई 15 के अनुसार होगा। "
- (iv) उप नियम (22) में, -
- (1) 'तालिका 2' के पश्चात् दी गई 'टिप्पणियों' में क्रम संख्या (14) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "15. ई12 या ई15 या ई20 या ई85 या ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता को वाहन निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर वाहन पर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा।
 - (16) द्वि-ईंधन वाहनों के लिए, रेफरेंस गैसोलीन ईंधन विनिर्माता द्वारा अनुमोदन के दौरान घोषित ई-10 या ई 12 या ई 15 के अनुसार होगा।"
- 3. मूल नियम में, 115-ट के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित करें, अर्थात्:-

"115-ठ. ई-12 (12% इथेनॉल-गैसोलीन मिश्रण) और ई-15 (15% इथेनॉल-गैसोलीन मिश्रण) वाहनों के लिए बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानक।

- (1) ई -12 और ई -15 के इथेनॉल गैसोलीन मिश्रणों से चलाने के लिए स्पार्क इग्निशन इंजन वाले नए निर्मित गैसोलीन वाहनों के प्रकार को प्रचलित गैसोलीन उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा। "
- (2) ई12 और ई15 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता को वाहन निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर वाहन पर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (3) टाइप अनुमोदन परीक्षण के लिए परीक्षण आवश्यकताएं नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगी:

तालिका 1

सीएमवीआर अनुपालना हेतु 3,500 किलोग्राम से कम या उसके बराबर के सकल वाहन भार वाले चार पहिया वाहन के लिए परीक्षण आवश्यकताएं

क्र.सं.	परीक्षण	गैसोलीन इथेनॉल मिश्रण वाहन
1	गैसीय प्रदूषक (टाइप l परीक्षण)	ई 12 या ई 15 ईंधन
2	निष्क्रिय और उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन (टाइप II परीक्षण)	ई 12 या ई 15 ईंधन
3	क्रैंककेस उत्सर्जन (टाइप III परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
4	बाष्पीकरणीय उत्सर्जन (टाइप IV परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
5	टिकाऊपन (टाइप V परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
6	गतिमान स्थिति में अनुरूपता	केवल गैसोलीन ईंधन पर
7	कार्बन डाईऑक्साइड और ईंधन की खपत	ई 12 या ई 15 ईंधन
8	ऑनबोर्ड जांच (ओबीडी I या II) जैसा लागू हो और इस्तेमाल के दौरान प्रदर्शन अनुपात निगरानी (आईयूपीआरएम)	ई 12 या ई 15 ईंधन
9	इंजन की शक्ति	ई 12 या ई 15 ईंधन

टिप्पणियां-

- सीएमवीआर अनुपालना के लिए उत्सर्जन परीक्षण, जैसा लागू हो और समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 के अनुसार किया जाएगा।
- सीएमवीआर अनुपालन के लिए वाहन विनिर्माता नियम 126 के तहत निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों को वाहन सौंपेंगे।
- 3. खराब होने वाले कारक वाहन श्रेणी के लिए यथा अधिसूचित प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार होंगे।
- 4. जब तक बीआईएस द्वारा ई -12 और ई -15 के लिए गैसोलीन इथेनॉल ईंधन मिश्रण को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक सीएमवीआर अनुपालना के प्रयोजनार्थ आईएस 17586: 2021 के अनुसार ई -12 और ई -15 के लिए वाणिज्यिक गैसोलीन इथेनॉल ईंधन मिश्रण ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। गैसोलीन रेफरेंस ईंधन वाहन श्रेणी के लिए यथा अधिसूचित किया जाएगा।
- 5. खराब होने वाले कारक वाहन श्रेणी के लिए यथा अधिसूचित प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार होंगे।

तालिका 2

सीएमवीआर अनुपालना हेतु दो पहिया वाहनों या तीन पहिया वाहनों या क्वाड्रीसाइकल के लिए परीक्षण आवश्यकताएं

क्र.सं.	परीक्षण	गैसोलीन इथेनॉल मिश्रण वाहन
1	गैसीय प्रदूषक (टाइप l परीक्षण)	ई 12 या ई 15 ईंधन
2	निष्क्रिय और उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन (टाइप II परीक्षण)	ई 12 या ई 15 ईंधन
3	क्रैंककेस उत्सर्जन (टाइप III परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
4	बाष्पीकरणीय उत्सर्जन (टाइप IV परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
5	सहन शक्ति (टाइप V परीक्षण)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
6	कार्बन डाईऑक्साइड और ईंधन की खपत	ई 12 या ई 15 ईंधन
7	ऑनबोर्ड जांच (ओबीडी I या II) और आईयूपीआरएम, जैसे लागू हो	ई 12 या ई 15 ईंधन
8	इंजन की शक्ति	ई 12 या ई 15 ईंधन

टिप्पणियां-

- सीएमवीआर अनुपालना के लिए उत्सर्जन परीक्षण, जैसा लागू हो और समय-समय पर संशोधित एआईएस 137 के अनुसार किया जाएगा।
- सीएमवीआर अनुपालन के लिए वाहन विनिर्माता नियम 126 के तहत निर्दिष्ट परीक्षण एजेंसियों को वाहन सौंपेंगे।
- 3. खराब होने वाले कारक वाहन श्रेणी के लिए यथा अधिसूचित प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार होंगे।
- जब तक बीआईएस द्वारा ई -12 और ई -15 के लिए गैसोलीन इथेनॉल ईंधन मिश्रण को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक सीएमवीआर अनुपालना के प्रयोजनार्थ आईएस 17586: 2021 के अनुसार ई -12 और ई -15 के लिए वाणिज्यिक गैसोलीन इथेनॉल ईंधन मिश्रण ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। गैसोलीन रेफरेंस ईंधन वाहन श्रेणी के लिए यथा अधिसूचित किया जाएगा।
- 5. खराब होने वाले कारक वाहन श्रेणी के लिए यथा अधिसूचित प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार होंगे।"

[सं. आरटी-11036 /111 /2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम 2 जून, 1989 की अधिसूचना संख्या का.आ. नियम 590 (अ.) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक की अधिसूचना संख्या सा. का. नि.(अ.) के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2021

G.S.R. 439(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall

be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (....Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein referred to as principal rules), in rule 115,-

- (i) in sub-rule (18), in clause (i), -
- 1. in the 'Notes' given after 'Table 2', after serial number (21), the following serial number shall be inserted, namely:-,-

"(22) For the bi-Fuel vehicles, the Reference Gasoline fuel shall be as per E-10 or E12 or E15 as declared by the manufacturer during approval."

(ii) in sub-rule (19), in clause (i), -

(1) in the 'Notes' given after 'Table 2', after serial number (15), the following serial number shall be inserted, namely:-,-

"(16) For the bi-Fuel vehicles, the Reference Gasoline fuel shall be as per E-5 or E12 or E15 as declared by the manufacturer during approval."

(iii) in sub rule (20),-

(1) in the 'Notes' given after 'Table 2', after serial number (14), the following serial number shall be substituted, namely:-,-

"(15) The CNG/Bio-CNG/HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable;

(16) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E12 or E15 or E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.";

(2) in the 'Notes' given after 'Table 2', after serial number (16), the following serial number shall be inserted, namely:-,-

"(17) For the bi-Fuel vehicles, the Reference Gasoline fuel shall be as per E-10 or E12 or E15 as declared by the manufacturer during approval."

(iv) in sub rule (22),-

(1) in the 'Notes' given after 'Table 2', after serial number (14), the following serial number shall be inserted, namely:-,-

"15. The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E12or E15 or E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.

(16) For the bi-Fuel vehicles, the Reference Gasoline fuel shall be as per E-10 or E12 or E15 as declared by the manufacturer during approval. "

3. In the principal rule, after 115-K, insert the following rule, namely:-

"115-L. Mass emission standard for E-12 (12 % Ethanol-Gasoline Blend) and E-15 (15 % Ethanol-Gasoline Blend) vehicles.

(1) The newly manufactured gasoline vehicles fitted with spark ignition engine compatible to run on ethanol gasoline blends of E-12 and E-15 shall be type approved as per prevailing gasoline emission norms."

(2) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E-12 and E-15 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.

(3) Test requirements for Type Approval test shall be as per Table below:

Table 1

Test requirements for CMVR compliance for

four wheeled vehicles with Gross Vehicle Weight less than or equal to 3,500 kg

Sr. No.	Test	Gasoline ethanol blend vehicle
1	Gaseous pollutants (Type I test)	E12 or E15 fuel
2	Idle and high idle emission (Type II test)	E12 or E15 fuel
3	Crankcase emission (Type III test)	Only on Gasoline Fuel
4	Evaporative emissions (Type IV test)	Only on Gasoline Fuel
5	Durability (Type V test)	Only on Gasoline Fuel
6	In Service Conformity	Only on Gasoline Fuel
7	CO2 & Fuel Consumption	E12 or E15 fuel
8	Onboard diagnostics (OBD I or II) as applicable and In-use performance ratio monitoring(IUPRm)	E12 or E15 fuel
9	Engine Power	E12 or E15 fuel

Notes-

- 1. Emission tests for CMVR compliance, shall be carried out as per AIS 137 as applicable and as amended from time to time.
- 2. Vehicles manufacturer shall submit the vehicle to the Test Agencies referred under rule 126, for CMVR compliance.
- 3. Deterioration factors shall be as per prevailing emission norms, as notified for the vehicle category.
- 4. Till the time reference gasoline ethanol fuel blend for E-12 and E-15 is notified by BIS, commercial gasoline ethanol fuel blend fuel for E-12 and E-15, as per IS 17586: 2021, shall be used for the purpose of CMVR compliance. Gasoline Reference Fuel shall be as notified for the vehicle category.
- 5. Deterioration factors shall be as per prevailing emission norms, as notified for the vehicle category.

7

Table 2

Test requirements for CMVR compliance for

Sr. No.	Test	Gasoline ethanol blend vehicle
1	Gaseous pollutants (Type I test)	E12 or E15 fuel
2	Idle and high idle emission (Type II test)	E12 or E15 fuel
3	Crankcase emission (Type III test)	Only on Gasoline Fuel
		Only on Gasoline Fuel
5	Durability (Type V test)	Only on Gasoline Fuel
		E12 or E15 fuel
	Onboard diagnostics (OBD I or II) and IUPRm	E12 or E15 fuel
	as applicable	
8	Engine Power	E12 or E15 fuel

Notes-

- 1. Emission tests for CMVR compliance, shall be carried out as per AIS 137 as applicable and as amended from time to time.
- 2. Vehicles manufacturer shall submit the vehicle to the Test Agencies referred under rule 126, for CMVR compliance.
- 3. Deterioration factors shall be as per prevailing emission norms, as notified for the vehicle category.
- 4. Till the time reference gasoline ethanol fuel blend for E-12 and E-15 is notified by BIS, commercial gasoline ethanol fuel blend fuel for E-12 and E-15, as per IS 17586: 2021, shall be used for the purpose of CMVR compliance. Gasoline Reference Fuel shall be as notified for the vehicle category.
- 5. Deterioration factors shall be as per prevailing emission norms, as notified for the vehicle category."

[No.RT-11036/111/2021-MVL] AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number(E), dated the